वित्तीय स्वीकृति

संख्या-09/2019/252/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018 टी0सी0

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-45 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या: 1121/पर्या/लेखा-14/2018-19 दिनांक 05.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-45, लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के मानक मद संख्या-02 मजदूरी, 03 मंहगाई भत्ता एवं 49 चिकित्सा व्यय तथा उपलेखाशीर्षक-04 क्षेत्रीय कार्यालय के मानक मद 01 वेतन के व्ययों को सुचारू रूप से निर्वहन हेतु उपलेखाशीर्ष-03-पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के विभिन्न मानक मदों में कुल प्राविधानित धनराशि 196.43 लाख के सापेक्ष रू0 7.80 लाख (रू0 सात लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्तानुसार/अवमुक्त धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के "अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्ष-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के मानक मदों" के नामे डाला जायेगा।

4- पुनर्विनियोग संबंधी आलेख्य संलग्न है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-09/2019/252(1)/55-पर्या-2-19-68(पर्या0)/2018 टी0सी0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-7/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0–09 (भाग–1)

पुनर्विनियोजन की स्वीकृति के लिये आवेदन

विषय बजट मैनुअल का प्रस्तर–158

वित्तीय वर्ष–2018–19

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या का नाम–45– पर्यावरण

वित्तीय वर्ष 2018–19

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा				निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा				
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक को अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	रकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखा 3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय						राजस्व लेखा 3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय					
01– वेतन	190.43	4.69	4.57	4.57	185.86	03– मंहगाई भत्ता	19.04	19.63	0.59	0.59	19.63
						49– चिकित्सा व्यय	1.80	3.32	1.52	1.52	3.32
						राजस्व लेखा 3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001– निदेशन तथा प्रशासन 04–क्षेत्रीय कार्यालय					
						01–वेतन	82.65	85.11	2.46	2.46	85.11
राजस्व लेखा 3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय						राजस्व लेखा 3435–परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञाननिदेशालय					
16– व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	6.00	5.00	3.23	3.23	2.77	02– मजदूरी	11.60	14.83	3.23	3.23	14.83
योग	196.43	9.69	7.80	7.80	188.63		115.09	122.89	7.80	7.80	122.89

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–वास्तविक व्यय के फलस्वरूप बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ –9 में अकिंत अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है–

वास्तविकता के अनुसार कम बजट व्यवस्था होने के फलस्वरूप अधिक व्यय सम्भावित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,154 व 158 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव

संख्या आर ई–804–––––––––– दिनांक–28, मार्च, 2019

सेवा में ,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

27-3-19

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव,
वित्त विभाग

सं0: 252/55–पर्या–2–19–68(पर्या0)/2018 T.C दिनांक: मार्च 27,2019 लखनऊ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ।
2. कोषाधिकारी , जवाहर भवन , लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 तीन प्रतियों में ।

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

14/3/19

14/3/19